कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक –शिविरा / प्रारं / छात्रवृति / 3703 / 2018–19 /38 दिनांकः– 30-7-18

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा बूंदी

विषयः– अतिरिक्त मांग के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक जिशिअ / प्राशि / बूं / निःशुल्क पाठ्य पुस्तक / 2018–19 / 3742 दिनांक 27.7.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय को सम संख्यक दिनांक 24.4.2018 द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण एवं आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे परन्तु खेद है कि आप ने इन निर्देशों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जिसकी वजह से पुस्तक वितरण में अनावश्यक देरी होती है।

निर्देशों के बिंदू स.8 में शैक्षिक सत्र 2018–19 के लिए अतिरिक्त मांग के संबंध में निर्देश थे कि अतिरिक्त मांग निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र सहित भिजवानी है। अतिरिक्त मांग का प्रपत्र व प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.7.2018 को आपको ई–मेल पर भिजवा दिया गया था। उसके उपरान्त भी आप में अतिरिक्त मांग निर्धारित प्रपत्र में नहीं भिजवाई है। अतः वर्ष 18–19 का वास्तविक नामांकन दर्शाते हुए अतिरिक्त मांग निर्धारित प्रपत्र में शिघ्रातिशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करावे ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

अतिरिक्त मांग का प्रपत्र

क्र.स.	कक्षा	वर्ष 2018–19 में कक्षावार वास्तविक नामांकन	वर्ष 2018–19 के लिए आप द्वारा पुस्तक सेटों की मांग संख्या कक्षावार	RSTB द्वारा उपलब्ध पुस्तक सेटों की संख्या कक्षावार	कक्षावार वितरित पुस्तक सेटों की संख्या	अतिरिक्त मांग पुस्तक सेट कक्षावार	अतिरिक्त मांग का कारण

मांग प्रपत्र के साथ निम्नानुसार प्रमाण पत्र भी प्रेषित करावें।

प्रमाण–पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि जिले के अधीन समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के अधीन विद्यालयों में कोई पुस्तक शेष नहीं है तथा अतिरिक्त मांग से पूर्व मैंने स्वयं इसकी जांच करवाली है तथा ब्लॉक स्तर पर कोई पुस्तक अवशेष पाई गई है तो वित्तीय हानि के लिये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार रहूंगा।"

हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ